उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1724 / VII-II/80-उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11 / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004 तथा शासनादेश संख्याः 940–उद्योग / औ0वि0 / 07–उद्योग / 2004–05 दिनांक 9 / 10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 5397 / उ0नि0(पाँच)–औ0वि0 / 2007–08 दिनांक 31 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मै0 हरिद्वार इस्टेट्स प्रा0लि0, को जिला हरिद्वार, तहसील रूड़की, ग्राम बाबली कलंजरी में 28.571 तथा ग्राम शान्तरशाह में 13.733 हैक्टेअर कय अनुबन्धित भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित / अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर / रकबा	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में)
ग्राम–बाबली कलंजारी तहसील–रूड़की	329 रकबा 0.658 है0, 330 रकबा 1.383है0, 331 रकबा 0.322है0, 332 रकबा 0.248है0, 338 रकबा 0.184है0, 339 रकबा 0.164है0, 340 रकबा 0.246है0, 341 रकबा 2.391है0, 333 रकबा 0.269है0, 343 रकबा 0.552है0, 368 रकबा 0.358है0, 344 रकबा 0.620है0, 350 रकबा 0.075 है0, 367 रकबा 0.380है0, 345 रकबा 0. 270है0, 348 रकबा 0.270है0, 348 रकबा 0.092है0, 349 रकबा 0.084है0, 357 रकबा 0.098है0, 413 रकबा 0.377है0, 384 रकबा 0.732है0, 400 रकबा 0.803है0, 389 रकबा 0.108है0, 411 रकबा 0.161है0, 412 रकबा 0.161है0, 414 रकबा 0.116है0, 388 रकबा 0.108है0, 384 रकबा 0.596है0, 460 रकबा 0.396है0, 358 रकबा 0.029है0, 373 रकबा 0.050है0, 374 रकबा 0.047है0, 376 रकबा 0.071है0, 392 रकबा 0.325है0, 371 रकबा 1.688है0, 436 रकबा 0.326है0, 346 रकबा 2.047है0, 383 रकबा 0.910है0, 366 रकबा 2.188है0, 456 रकबा 0.102है0, 458 रकबा 0. 101है0, 336 रकबा 0.359है0, 337 रकबा 0.364है0, 355 रकबा 0.029है0, 352 रकबा 0.059है0, 353 रकबा 0.059है0, 354 रकबा 0.123है0, 369 रकबा 0.129है0, 370 रकबा 0.127है0, 362 रकबा 0.290है0, 378 रकबा 0.071है0, 377 रकबा 0.071है0 379 रकबा 0.206है0, 380 रकबा 0.205है0, 387 रकबा 0.370है0, 395 रकबा 0.103है0, 398 रकबा 0.103है0, 398 रकबा 0.407है0, 399 रकबा 0.083है0, 404 रकबा 0. 047है0, 407 रकबा 0.016 है0, 402 रकबा 0.037है0, 405 रकबा 0.015है0, 406 रकबा 0.015है0, 410 रकबा 0.376है0, 417 रकबा 0.376है0 420 रकबा 0. 707है0, 421 रकबा 0.426है0, 422 रकबा 0.560है0, 423 रकबा 0.061है0, 427 रकबा 0.288है0, 393 रकबा 0.103है0, 394 रकबा 0.103, 424 रकबा 0.104है0, 425 रकबा 0.104है0, 426 रकबा 0.104है0, 464 रकबा 0.458है0, 375 रकबा 0.071है0, 361 रकबा 0. 541है0, 364 रकबा 0.779है0,	28.751
ग्राम शान्तरशाह तहसील–रूड़की	360 रकबा 0.247है0, 361 रकबा 0.247है0, 362 रकबा 0.335है0, 364 रकबा 0. 229है0, 366 रकबा 0.229है0, 366 रकबा 0.466है0, 367 रकबा 0.454है0, 371 रकबा 0.378है0, 372 रकबा 0.585है0, 373 रकबा 1.288है0, 388 रकबा 0.150है0, 346 रकबा 2.047है0, 347 रकबा 0.350है0, 348 रकबा 0.766है0, 349 रकबा 0.702है0, 358 रकबा 1.282है0, 354 रकबा 0.700है0, 355 रकबा 0.015है0, 356 रकबा 0. 015है0, 357 रकबा 0.943है0, 358 रकबा 1.074है0, 369 रकबा 0.464है0, 370 रकबा 0.463है0, 387 रकबा 0.25है0,	13.733

2– ग्राम बाबली कलंजरी स्थित भूमि के खसरा संख्या–329 से 464 मध्ये कुल रकबा–28.571है0 भूमि तथा शान्तरशाह स्थित खसरा संख्या–360 से 362, 364 से 367, 371 से 373 व 388 मध्ये कुल रकबा–5.126है0 भूमि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-C Industrial Activity in non- Industrial Area along with Extension (to be notified) शीर्ष के अन्तर्गत अधिसूचित है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या–27/2005 सी0ई0 दिनांक 19 मई, 2005 के Annexure-II में इसे Existing Industrial Activity in Non Industrial Area में स्थापित कर दिया गया है तथा इस अधिसूचना के प्राविधानानुसार Annexure-II में अधिसूचित भूमि पर ही स्थापित औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तार तथा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना, दोनों ही स्थित में विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ग्राम शान्तरशाह स्थित खसरा संख्या–346 से 349, 354 से 358, 369, 370 तथा 387 मध्ये कुल रकबा–8.607 हैक्टेअर भूमि किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है, जिस पर थ्रस्ट सैक्टर उद्योग की स्थापना होने पर ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ पात्रता पूर्ण करने पर उपलब्ध होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग ली जायेगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथाः प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

9– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

10– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1725 (1)/VII-II-/80–उद्योग/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. श्री हर्षवर्धन शर्मा, प्राधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 हरिद्वार इस्टेट्स प्रा0लि0, 287, ई0टी0होस्टल, सेक्टर 2 बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा) 6/1/07
प्रमुख सचिव।